

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- बाबुलाल जाट ( R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 192/2018

## वादीगण


1- मोतीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सिडियास तहसील कुचामनसिटी  
जिला नागौर राजस्थान

## बनाम

## प्रतिवादीगण

1. सुमेरसिंह पुत्र कानसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र कानसिंह
3. मूलसिंह पुत्र कानसिंह
4. प्रहलादसिंह पुत्र कानसिंह
5. मोहनसिंह पुत्र कानसिंह
6. श्रवणसिंह पुत्र कानसिंह
7. शिम्भुसिंह पुत्र देवीसिंह
8. भंवरकंवर पत्नि लिछमणसिंह
9. विक्रमसिंह पुत्र लिछमणसिंह
10. प्रमोसकंवर पुत्री लिछमणसिंह
11. सम्पतकंवर पुत्री लिछमणसिंह
12. मोहनकंवर पत्नि दौलतसिंह
13. राजेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह
14. ओमसिंह पुत्र हेमसिंह
15. कालूसिंह पुत्र मानसिंह
16. जितेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह
17. मेफूकंवर पत्नि गुमानसिंह
18. सुगनसिंह पुत्र बक्षसिंह
19. जबरसिंह पुत्र बक्षसिंह
20. विक्रमसिंह पुत्र उमेदसिंह
21. महेन्द्रसिंह पुत्र उमेदसिंह
22. राजेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह
23. सवाईसिंह पुत्र भोपालसिंह
24. मदनसिंह पुत्र भोपालसिंह
25. सुगनकंवर पुत्री भोपालसिंह
26. मुनीकंवर पुत्री भोपालसिंह
27. उदयसिंह पुत्र हरिसिंह
28. मूलसिंह पुत्र रामसिंह
29. सायरसिंह पुत्र रामसिंह
30. कर्णसिंह पुत्र रामसिंह
31. महेन्द्रसिंह पुत्र निरसिंह
32. रविसिंह पुत्र निरसिंह
33. गजेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह



  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

34. पीरूसिंह पुत्र छतूसिंह
35. रामसिंह पुत्र छतूसिंह
36. छगनकंवर पत्नि छतूसिंह
37. सोनूसिंह पुत्र नरपतसिंह
38. मंजूकंवर पत्नि नरपतसिंह
39. जगदीशसिंह पुत्र अमरसिंह
40. रणवीरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत समस्त निवासीयान सिडियास
41. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कुचामनसिटी
42. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर  
दावा इस्तकरार हक व भू-विभाजन अ.धा.88 रा.का.अधि.1955  
उपस्थित - श्री जगदीश प्रसाद नेहरा एवं श्री रामनिवास अधिवक्ता वादी की ओर से ।

### निर्णय

दिनांक :- 30.8.19

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सिडियास तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 16.33 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त रूप से खातेदारी मे दर्ज चली आ रहा है। उपरोक्त खसरा आराजियात भूमि में वादी 1.77 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है भूमि की उपजाउता के आधार पर एवं आपसी सुविधा से मौके पर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण ने भूमि का अलग अलग बंटवारा कर पिछले 30-35 वर्षों से अलग अलग काश्त करते आ रहे हैं तथा अपने अपने हिस्से की भूमि का निश्चित राजस्व लगान राज्य सरकार में अदा करते आ रहे हैं। उक्त विभाजन के पश्चात वादी ने अपनी उक्त भूमि की अपनी अलग सीव माठ कायम कर ली थी एवं माफिक बंटवारा नवीन खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वादी के कब्जा काश्त एवं आधिपत्य की रही है जिस पर वादी निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक खातेदार चला आ रहा है।

वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम सिडियास तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नं.

.....3.....

  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

178 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 16.33 हैक्टर मे से खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 से 40 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा

की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे तथा वादी की सेपरेट होल्डिंग कायम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी संख्या 42 को आदेश प्रदान फरमावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1से 42 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने समर्थन में जमाबन्दी नकल सम्तव 20710-2074, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ-पत्र, गवाह स्वरूपसिंह एवं गवाह राजेन्द्रसिंह के शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। शामिल मिसल उपलब्ध है।

वकील वादी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए उपरोक्तानुसार वादी के नाम ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर में खातेदारी घोषित की जाने का निवेदन किया है तथा वादी के हिस्से में अंकित 1.77 हैक्टर के स्थान पर 1.49 रकबा खसरा नम्बर 170 मे भूमि दिये जाने काथन किया है तथा बंटवारा नही किये जाने एवं सीधे ही वाद डिक्री किये जाने का कथन किया है तथा शेष खसरान में नाम हटाया जावे। प्रस्तुत शपथ-पत्रो में वादी एवे गवाहो ने भी उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर में खातेदारी घोषित की जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी अनुसार पक्षकारान का हिस्सा संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है तथा वादी अपने हिस्से की 1.77 हैक्टर भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रही भूमि में खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर हिस्सा ही दर्ज किये जाने का कथन किया है तथा शेष खसरान में से नाम हटाये जाने का कथन किया है साथ ही 1.49 हैक्टर पर ही वादी का कब्जा होना जाहिर किया है। दौराने वाद सुनवाई किसी भी खातेदार अथवा पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही कराई है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वाद वादी साबित होने से काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार से वाद वादी डिक्री किया जाता है।

#### आदेश

ग्राम सिडियास तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा न. 176 रकबा 0.85

हैक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.80 हक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 16.33 हैक्टर में से खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी का शेष हिस्सा 0.28 हैक्टर शेष खसरा नम्बर 132 133 137 138 139 168 173 174 175 176 177 178 में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रहेगा। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट RAS.)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

अज अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट ( R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 192/2018

वादीगण

1- मोतीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सिडियास तहसील कुचामनसिटी  
जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुमेरसिंह पुत्र कानसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र कानसिंह
3. मूलसिंह पुत्र कानसिंह
4. प्रहलादसिंह पुत्र कानसिंह
5. मोहनसिंह पुत्र कानसिंह
6. श्रवणसिंह पुत्र कानसिंह
7. शिम्भुसिंह पुत्र देवीसिंह
8. भंवरकंवर पत्नि लिछमणसिंह
9. विक्रमसिंह पुत्र लिछमणसिंह
10. प्रमोसकंवर पुत्री लिछमणसिंह
11. सम्पतकंवर पुत्री लिछमणसिंह
12. मोहनकंवर पत्नि दौलतसिंह
13. राजेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह
14. ओमसिंह पुत्र हेमसिंह
15. कालूसिंह पुत्र मानसिंह
16. जितेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह
17. मेफूकंवर पत्नि गुमानसिंह
18. सुगनसिंह पुत्र बक्षसिंह
19. जबरसिंह पुत्र बक्षसिंह
20. विक्रमसिंह पुत्र उमेदसिंह
21. महेन्द्रसिंह पुत्र उमेदसिंह
22. राजेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह
23. सवाईसिंह पुत्र भोपालसिंह
24. मदनसिंह पुत्र भोपालसिंह
25. सुगनकंवर पुत्री भोपालसिंह
26. मुनीकंवर पुत्री भोपालसिंह
27. उदयसिंह पुत्र हरिसिंह
28. मूलसिंह पुत्र रामसिंह
29. सायरसिंह पुत्र रामसिंह
30. कर्णसिंह पुत्र रामसिंह
31. महेन्द्रसिंह पुत्र निरसिंह
32. रविसिंह पुत्र निरसिंह
33. गजेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह

  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

34. पीरूसिंह पुत्र छतूसिंह
  35. रामसिंह पुत्र छतूसिंह
  36. छगनकंवर पत्नि छतूसिंह
  37. सोनूसिंह पुत्र नरपतसिंह
  38. मंजूकंवर पत्नि नरपतसिंह
  39. जगदीशसिंह पुत्र अमरसिंह
  40. रणवीरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत समस्त निवासीयान सिडियास
  41. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कुचामनसिटी
  42. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
- दावा इस्तकरार हक व भू-विभाजन अ.धा.88 रा.का.अधि.1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री जगदीश प्रसाद नेहरा एवं श्री रामनिवास हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू-बरू ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता ग्राम सिडियास तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा न. 176 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 16.33 हैक्टर में से खसरा नम्बर 170 रकबा 1.49 हैक्टर का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा वादी का शेष हिस्सा 0.28 हैक्टर शेष खसरा नम्बर 132 133 137 138 139 168 173 174 175 176 177 178 में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रहेगा। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जावे।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 08 सन् 19 को जारी की गई।

(मुहर)

उपरोक्त अधिकारी  
दस्तखत  
कुचामन सिटी (नागौर)  
आहवा

मुदई	रुपयें	पैसे	मुदायलय	रुपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिन्तर		
फिस कमिन्तर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।